संख्या – 2895/79–5–2016–29/2009टी.सी. (86)

प्रेषक,

ममता श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2016

विषय: उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्यानुभव शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों का पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–अंश0अनु0/8605/2015–16, दिनांक 14.3.2016 एवं पत्रांक–अंश0अनु0/8723/2015–16, दिनांक 22.3.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्यानुभव शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्यानुभव शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों के पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :–

(I) अंशकालिक अनुदेशकों के अनुरोध पर जनपद के अन्दर पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन आवेदन पत्रों के अनुसार प्रथम वरीयता के आधार पर निस्तारित किया जायेगा।

(II) जनपद में विद्यालय परिवर्तन के पश्चात् नवीन विद्यालय में अवशेष शैक्षिक सत्र के लिए ही पुनः अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

(III) जनपद में पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन में विकलांग अभ्यर्थी (महिला/पुरूष) एवं अविवाहित महिला अभ्यर्थी के प्रकरणों पर वरीयता देते हुए निर्णय लिया जायेगा।

(IV) अंशकालिक अनुदेशकों का जनपद में पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन संबंधित विषयों के मध्य ही किया जायेगा। अर्थात् कला शिक्षा से कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वस्थ शिक्षा से शारीरिक एवं स्वस्थ शिक्षा तथा कार्यानुभव शिक्षा से कार्यानुभव शिक्षा।

(V) अंशकालिक अनुदेशकों का जनपद में पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन प्रत्येक दशा में 15 दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

3— परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का जनपद में पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन निम्न जनपदीय समिति द्वारा किया जायेगाः—

1.	मुख्य विकास अधिकारी संबंधित जनपद	—	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद	—	सदस्य सचिव
3.	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान संबंधित जनपद	—	सदस्य

4— अंशकालिक अनुदेशकों के जनपद के अन्दर पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन के सम्बन्ध में यथावश्यक समय—सारिणी/विस्तृत दिशा निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत किये जायेगें।

5— परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के चयन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या—3371/79—5—13—5/2010, दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या—5155/79—5—13—29/2009टी.सी., दिनांक 25 दिसम्बर, 2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीया

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 124 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली—110115 ।

2— मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

3— शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त पत्र की एक अतिरिक्त प्रति इस आशय से प्रेषित कि समस्त को अपने स्तर से उपलब्ध भी कराने का कष्ट करें।

4— निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ ।

5— निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, छठां तल, लखनऊ ।

6— मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/प्राचार्य डायट/मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7— सचिव/वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

8— सहायक एवं वित्त लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

9— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।